रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-16042024-253724 CG-DL-E-16042024-253724

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1637]

No. 1637]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 16, 2024/चैत्र 27, 1946 NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 16, 2024/CHAITRA 27, 1946

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अप्रैल, 2024

का.आ. 1722(अ).— केंद्रीय सरकार, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 46 की उपधारा (2) के खंड (कक) और खंड (कख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर ऋण लिखत) नियम, 2019 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातु:

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर ऋण लिखत) (तीसरा संशोधन) नियम, 2024 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर-ऋण लिखत) नियम, 2019 में, अनुसूची I की, तालिका के, क्रम संख्या 12 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:

2582 GI/2024 (1)

2	THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORI	DINARY	[PART II—SEC. 3(ii)]
(1)	(2)	(3)	(4)
'12 .	अंतरिक्ष क्षेत्र		
12.1	(क) उपग्रह- विनिर्माण और प्रचालन		74% तक स्वचालित।
	(ख) उपग्रह डाटा उत्पाद	100%	
	(ग) मैदान खंड और उपभोक्ता खंड		74% से अधिक सरकारी मार्ग
12.2	(क) प्रक्षेपण यान और संबंद्ध प्रणालियां या उप-प्रणालियां		49% तक स्वचालित।
	(ख) अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित करने और अभिग्रहण के लिए	100%	
	अंतरिख पत्तन का निर्माण		49% से अधिक सरकारी मार्ग
12.3	उपग्रहों, मैदान खंड और उपभोक्ता खंड के लिए घटकों और	100%	स्वचालित
	प्रणालियों या उप-प्रणालियों का विनिर्माण		
12.4	विनिधान प्राप्तकर्ता इकाई अंतरिक्ष विभाग द्वारा समय-समय पर होगी।	जारी किए	गए क्षेत्रीय दिशानिर्देशों के अधीन
12.5	परिभाषाएँ:		
	(क) उपग्रह - विनिर्माण और प्रचालन: उपग्रह या पेलोड का शुरू से अंत तक विनिर्माण और आपूर्ति, उपग्रह		
	प्रणालियों की स्थापना जिसमें उपग्रह के इन-आर्बिट प्रचालन और	र पेलोड का	नियंत्रण भी शामिल है।
	(ख) ज्यापन नाम जन्मनः पश्ची पेश्या या ना मंत्रेनी ज्यापन ना	ਜ ੂਜ ੀਜ਼ ਤਜ਼ਜ਼	

- (ख) उपग्रह डाटा उत्पाद: पृथ्वी प्रेक्षण या दूर संवेदी उपग्रह डाटा और डाटा उत्पादों सहित एप्लिकेशन इंटरफेस (एपीआई) का अभिग्रहण, सृजन या प्रसार।
- (ग) मैदान खंड और उपभोक्ता खंड:
 - (i) मैदान खंड: पृथ्वी प्रेक्षण डाटा अभिग्रहण स्टेशन, गेटवे, टेलीपोर्ट, सैटेलाइट टेलीमेट्री, ट्रैकिंग और कमांड (टीटीसी) स्टेशन, सैटेलाइट कंट्रोल सेंटर (एससीसी) आदि सहित उपग्रह संचारण या अभिग्रहण पृथ्वी स्टेशनों की आपूर्ति।
 - (ii) उपभोक्ता खंड: उपग्रह के साथ संचार करने के लिए उपभोक्ता मैदान टर्मिनलों की आपूर्ति, जो मैदान खंड के अंतर्गत नहीं आते हैं।
- (घ) "प्रक्षेपण यान और संबद्ध प्रणालियां या उप-प्रणालियां": एक यान और उसके चरण या घटक जो एक उप-कक्षीय प्रक्षेपपथ या पृथ्वी की कक्षा या बाहरी अंतरिक्ष में पेलोड या व्यक्तियों के साथ अंतरिक्ष यान को प्रचालित करने या स्थापित करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं।
- (ङ) अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित करने और अभिग्रहण करने के लिए अंतरिख पत्तन का निर्माण: एक अंतरिख पत्तन (जिसे प्रक्षेपण स्थल के रूप में भी निर्दिष्ट है) को वह आधार माना जा सकता है जहां से अंतरिक्ष यान प्रक्षेपित किया जाता है, और इसमें बाहरी अंतरिक्ष से और उसके माध्यम से परिवहन के लिए युक्तियों से जुड़ी सुविधाएं शामिल होती हैं।
- (च) उपग्रहों के मैदान खंड और उपभोक्ता खंड के लिए घटकों और प्रणालियों या उपप्रणालियों का विनिर्माण:

इसमें उपग्रहों, मैदान खंड और उपभोक्ता खंड के लिए विद्युत, इलेक्ट्रॉनिक और यांत्रिक घटक प्रणालियों या उपप्रणालियों का विनिर्माण और आपूर्ति शामिल है।'

> [फा. सं. 1/5/ईएम/2019] सुरभि जैन, संयुक्त सचिव

टिप्पण: विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर-ऋण लिखत) नियम, 2019, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में संख्यांक का.आ.3732 (अ), तारीख 17 अक्टूबर, 2019 के द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचना संख्यांको के द्वारा संशोधित किए गए: -

- (i) का.आ. 4355 (अ), तारीख 5 दिसम्बर 2019;
- (ii) का.आ. 1278 (अ), तारीख 22 अप्रैल, 2020;
- (iii) का.आ. 1374 (अ), तारीख 27 अप्रैल, 2020;
- (iv) का.आ. 2442 (अ), तारीख 27 जुलाई, 2020;
- (v) का.आ. 4441 (अ), तारीख 8 दिसम्बर, 2020;
- (vi) का.आ. 3206 (अ), तारीख 9 अगस्त, 2021;
- (vii) का.आ. 3411 (अ), तारीख 19 अगस्त, 2021;
- (viii) का.आ. 4091 (अ), तारीख 5 अक्टूबर 2021;
- (ix) का.आ. 4242 (अ), तारीख 12 अक्टूबर 2021;
- (x) का.आ. 1202 (अ), तारीख 12 अप्रैल 2022; और
- (xi) का.आ. 332(अ), तारीख 24 जनवरी 2024; और
- (xii) का.आ. 1361(अ), तारीख 14 मार्च 2024।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th April, 2024

- **S.O. 1722(E).** In exercise of the powers conferred by clauses (aa) and (ab) of sub-section (2) of section 46 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Foreign Exchange Management (Non-debt Instruments) Rules, 2019, namely:-
- **1.** (1) These rules may be called the Foreign Exchange Management (Non-debt Instruments) (Third Amendment) Rules, 2024.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Foreign Exchange Management (Non-debt Instruments) Rules, 2019, in Schedule I, in the Table, for serial number 12 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)
'12.	Space Sector		
12.1	(a) Satellites-Manufacturing and Operation		Automatic up to 74%.
	(b) Satellite Data Products	100%	_
	(c) Ground Segment and User Segment		Government route beyond 74%
12.2	(a) Launch Vehicles and associated systems or sub-systems		Automatic up to 49%.
	(b) Creation of Spaceports for launching and receiving	100%	
	Spacecraft		Government route beyond 49%

12.3	Manufacturing of components and systems or sub-systems 100% Automatic				
	for satellites, Ground Segment and User Segment				
12.4	The investee entity shall be subject to sectoral guidelines as issued by the Department of Space from time to				
	time.				
12.5	Definitions:				
	(a) "Satellites - Manufacturing and Operation": End-to-end manufacturing and supply of satell				
	payload, establishing the satellite systems including control of in-orbit operations of the satellite and				
	payloads;				
	(b) "Satellite Data Products": Reception, generation or dissemination of earth observation or remote				
	sensing satellite data and data products including Application Interfaces (API);				
	(c) "Ground Segment" and "User Segment":				
	(i) "Ground Segment": Supply of satellite transmit or receive earth stations including earth				
	observation data receive station, gateway, teleports, satellite Telemetry, Tracking and				
	Command (TTC) station, and Satellite Control Centre (SCC) etc.;				
	(ii) "User Segment": Supply of user ground terminals for communicating with the satellite, which are not covered under the ground segment;				
	(d) "Launch Vehicles and Associated Systems or Sub-systems": A vehicle and its stages or components that				
	is designed to operate in or place spacecraft with payloads or persons, in a sub-orbital trajectory, or earth				
	orbit or outer space;				
	(e) "Creation of Spaceports for launching and receiving Spacecraft": - A spaceport (also referred as launch				
	site) may be regarded as the base from which spacecraft are launched, and consists of facilities involving				
	devices for transportation to, from and via outer space;				
	(f) "Manufacturing of components and systems or sub-systems for satellites Ground Segment and User				
	Segment": Comprises the manufacturing and supply of the electrical, electronic and mechanical components				
	systems or sub-systems for satellites, Ground Segment and User Segment.'.				

[F. No. 1/5/EM/2019]

SURBHI JAIN, Jt. Secy.

Note: The Foreign Exchange Management (Non-debt Instruments) Rules, 2019 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii) *vide* number S.O.3732 (E), dated the 17th October, 2019 and subsequently amended *vide* notification numbers:

- (i) S.O. 4355 (E), dated the 5th December 2019;
- (ii) S.O. 1278 (E), dated the 22nd April, 2020;
- (iii) S.O. 1374 (E), dated the 27th April, 2020;
- (iv) S.O. 2442 (E), dated the 27th July, 2020;
- (v) S.O. 4441 (E), dated the 8th December, 2020;
- (vi) S.O. 3206 (E), dated the 9th August, 2021;
- (vii) S.O. 3411 (E), dated the 19th August, 2021;
- (viii) S.O. 4091 (E), dated the 5th October 2021;
- (ix) S.O. 4242 (E), dated the 12th October 2021;
- (x) S.O. 1202 (E), dated 12th April 2022;
- (xi) S.O. 332(E), dated 24th January 2024; and
- (xii) S.O. 1361(E), dated 14th March 2024.